

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2014—ज्येष्ठ 9, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जन सम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2014

क्र. एफ-2-17-2014-जस-चौबीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश जनसम्पर्क (राजपत्रित सेवा) भरती नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन

करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची एक, दो तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या

अनु. क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या		वर्गीकरण (5)	वेतनमान (6)	अभ्युक्तियां (7)
		स्थायी (3)	अस्थायी (4)			
वर्ग-1						
1	आयुक्त-सह-संचालक	01	-	प्रथम श्रेणी	-	भारतीय प्रशासनिक सेवा का संवर्गीय पद घोषित/ भा.प्रशा.सेवा. का वेतनमान लागू रहेगा.
2	संचालक, जनसम्पर्क	-	02	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8900 ग्रेड वेतन	01 पद विभाग में और 01 पद माध्यम में प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित.
3	अपर संचालक, जनसम्पर्क	02	03	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8700 ग्रेड वेतन	-
4	संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क	07	05	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड वेतन	-
5	उप संचालक, जनसम्पर्क / मीडिया	12	18	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड वेतन	-
6	विजुलाईजर	01	-	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड वेतन	-
7	फिल्म अधिकारी	01	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड वेतन	-
वर्ग-2						
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	-	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड वेतन	लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
9	सहायक संचालक जनसम्पर्क/ मीडिया.	37	28	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड वेतन	-
10	मुख्य फोटो अधिकारी	01	01	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन	-
11	कैमरामेन (वीडियो)	01		द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन	
12	कैमरामेन (वीडियो)		05	संविदा वेतन रु. 21,000 प्रतिमाह.		
13	मुख्य कलाकार	01	-	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन	-
14	प्रशासकीय अधिकारी	01	-	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन	-
15	वरिष्ठ निज सहायक	01	01	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड वेतन	-

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)
भरती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या		भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
		स्थायी	अस्थायी	सीधी भरती द्वारा (नियम 6क देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6ख देखिये)	अन्य सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6ग देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जनसम्पर्क	मध्यप्रदेश जनसम्पर्क (राजपत्रित सेवा)					भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए संवर्गीय पद घोषित.
	प्रथम श्रेणी					
1.	आयुक्त-सह-संचालक	01	-	-	-	
2.	संचालक, जनसम्पर्क	-	02	-	100	एक पद विभाग में और एक पद माध्यम में प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित.
3.	अपर संचालक, जनसम्पर्क	02	03	-	100	-
4.	संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क	07	05	-	100	-
5.	उप संचालक, जनसम्पर्क / मीडिया.	12	18	-	100	-
6.	बिजुअलाइजर	01	-	100	-	-
7.	फिल्म अधिकारी	01	01	-	100	-
	द्वितीय श्रेणी					लेखा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति द्वारा
8.	वरिष्ठ अधिकारी	01	-	-	-	-
9.	सहायक संचालक, जनसम्पर्क / मीडिया.	37	28	50	50	-
10.	मुख्य फोटो अधिकारी	01	01	-	100	-
11.	कैमरामेन (वीडियो)	01	-	100	-	-
12.	कैमरामेन (वीडियो)		05	100	-	-
13.	मुख्य कलाकार	01	-	-	100	-
14.	प्रशासकीय अधिकारी	01	-	-	100	-
15.	वरिष्ठ निज सहायक	01	01	-	100	-

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति की पात्रता के लिए कालम (2) में उल्लिखित पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनसम्पर्क	प्रथम श्रेणी अपर संचालक, जनसम्पर्क	प्रथम श्रेणी संचालक, जनसम्पर्क	2 वर्ष	1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव - सदस्य 3. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव या सचिव. - सदस्य 4. विभाग के उप सचिव/ अपर सचिव - संयोजक
	संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क	अपर संचालक, जनसम्पर्क	2 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसका नाम-निर्देशिती - अध्यक्ष 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव या सचिव. - सदस्य 3. विभागाध्यक्ष (आयुक्त/ संचालक) जनसम्पर्क - सदस्य
	उप संचालक जनसम्पर्क/मीडिया	संयुक्त संचालक जनसम्पर्क	3 वर्ष	—तदैव—
	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी		
	सहायक संचालक जनसम्पर्क/मीडिया	उप संचालक जनसम्पर्क/मीडिया	4 वर्ष	—तदैव—
	कैमरा मैन (वीडियो)	फिल्म अधिकारी	4 वर्ष	—तदैव—
	तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी		
	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	सहायक संचालक जनसम्पर्क/मीडिया	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्देशिती आयोग का सदस्य - अध्यक्ष 2. विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव या सचिव - सदस्य 3. विभागाध्यक्ष (आयुक्त/संचालक) - सदस्य
	अधीक्षक	प्रशासकीय अधिकारी	4 वर्ष	—तदैव—
	फोटो अधिकारी	मुख्य फोटो अधिकारी	3 वर्ष	—तदैव—
	कलाकार	मुख्य कलाकार	5 वर्ष	—तदैव—
	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष	—तदैव—

No. F 2-17-2014-JS-XXIV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Public Relations (Gazetted Service) Recruitment Rules, 1966 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing Schedule I, II and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Posts included in the Service

S.No. (1)	Names of Posts included in the Service (2)	Number of Posts		Classification (5)	Pay Scale (6)	Remarks (7)
		Permanent (3)	Temporary (4)			
Class-I						
1.	Commissioner-cum Director	01	-	Class-I	-	Cadre post of Indian Administrative Service declared/ Pay Scale of IAS to be retained.
2.	Director, Public Relations	-	02	Class-I	37400—67000+8900 Grade Pay	01 post in the department and 01 post reserved for deputation in Madhyam.
3.	Additional Director, Public Relations	02	03	Class-I	37400—67000+8700 Grade Pay	-
4.	Joint Director, Public Relations	07	05	Class-I	15600—39100+7600 Grade Pay	-
5.	Deputy Director, Public Relations/ Media	12	18	Class-I	15600—39100+6600 Grade Pay	-
6.	Visualiser	01	-	Class-I	15600—39100+6600 Grade Pay	-
7.	Film Officer	01	01	Class-I	15600—39100+6600 Grade Pay	-
Class-II						
8.	Senior Accounts Officer	01	-	Class-II	15600—39100+5400 Grade Pay	On deputation from Accounts Services.
9.	Assistant Director, Public Relations/Media	37	28	Class-II	15600—39100+5400 Grade Pay	-
10.	Chief Photo Officer	01	01	Class-II	9300—34800+4200 Grade Pay	-
11.	Cameraman (Video)	01	-	Class-II	9300—34800+4200 Grade Pay	-
12.	Cameraman (Video)	-	05	Contract Pay Rs. 21,000 per month		
13.	Chief Artist	01	-	Class-II	9300—34800+4200 Grade Pay	-
14.	Administrative Officer	01	-	Class-II	9300—34800+4200 Grade Pay	-
15.	Senior Personal Assistant	01	01	Class-II	9300—34800+4200 Grade Pay	-

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Service	Number of Posts		Percentage of posts to be filled		
		Permanent	Temporary	By direct recruitment [vide rule 6(a)]	By promotion of the members of the service [vide rule 6(b)]	By temporary transfer from other services [vide rule 6(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Relations	Madhya Pradesh Public Relations Gazetted Service Class-I					
1.	Commissioner-cum Director	01	-	-	-	Cadre post of Indian Administrative Service declared.
2.	Directore, Public Relations	-	02	-	100%	01 post in the Department and 01 post reserved for deputation in Madhyam.
3.	Additional Director, Public Relations	02	03	-	100%	-
4.	Joint Director, Public Relations	07	05	-	100%	-
5.	Deputy Director, Public Relations/Media	12	18	-	100%	-
6.	Visualiser	01	-	100%	-	-
7.	Film Officer	01	01	-	100%	-
						Class-II
8.	Senior Accounts Officer	01	-	-	-	On deputation from Accounts Services.
9.	Assistant Director, Public Relations/Media	37	28	50%	50%	-
10.	Chief Photo Officer	01	01	-	100%	-
11.	Cameraman (Video)	01	-	100%		
12.	Cameraman (Video)		05	100%		
13.	Chief Artist	01	-	-	100%	-
14.	Administrative Officer	01	-	-	100%	-
15.	Senior Personal Assistant	01	01	-	100%	-

SCHEDULE-IV

(See Rule 13)

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	The minimum period of Service for promotion from the post mentioned in column (2)	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Public Relations	Class-I Additional Director, Public Relations	Class-I Director, Public Relations	2 Years	1. The Chief Secretary - Chairman 2. Senior most Additional Chief Secretary - Member 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary or Secretary of the Department - Member 4. Additional Secretary or Deputy Secretary of the Department - Convener
	Joint Director Public Relations	Additional Director, Public Relations	2 Years	1. The Chairman of the Public Service Commission or his nominee - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary or Secretary of the Department - Member 3. Head of the Department (Commissioner/Director) Public Relations - Member
	Deputy Director Public Relations/ Media	Joint Director Public Relations	3 Years	—do—
	Class-II Assistant Director Public Relations/ Media	Class-I Deputy Director Public Relations/ Media	4 Years	—do—
	Cameraman (Video)	Film Officer	4 Years	—do—
	Class-III Assistant Public Relations Officer	Class-II Assistant Director Public Relations/ Media	5 Years	1. The Chairman of the Public Service Commission or his nominee - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary or Secretary of the Department - Member 3. Head of the Department (Commissioner/Director) Public Relations - Member
	Superintendent	Administrative Officer	4 Years	—do—
	Photo Officer	Chief Photo Officer	3 Years	—do—
	Artist	Chief Artist	5 Years	—do—
	Personal Assistant	Senior Personal Assistant	5 Years	—do—.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लाजपत आहूजा, अपर सचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2014

क्र. एफ 3-1-2014-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु “नेतृत्व विकास शिविर योजना नियम, 2014” का प्रकाशन किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवि डफरिया, उपसचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु

“नेतृत्व विकास शिविर योजना नियम, 2014”

भोपाल, दिनांक 26 मई 2014

क्र. एफ 3-1-2014-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के प्रत्येक जिले में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को नेतृत्व विकास शिविर में सम्मिलित कराने हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम-विस्तार एवं प्रारंभ—

- 1.1 ये नियम मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले के शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को एवं कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक में उत्तीर्ण कर महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लेने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को नेतृत्व विकास शिविर में सम्मिलित होने के लिए “नेतृत्व विकास शिविर योजना नियम, 2014” कहे जायेंगे।
- 1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।
- 1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।
- 1.4 मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा योजना के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 1.5 राज्य शासन द्वारा योजना प्रावधानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- 1.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिये निर्धारित मापदण्ड का पालन किया जावेगा।

2. योजना का उद्देश्य—

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के छात्र-छात्राएं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हैं उन छात्र-छात्राओं को अपने समाज के उत्थान की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए रूझान और नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिये आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसकी पूर्ति के लिये छात्र-छात्राओं में अध्ययन के साथ-साथ नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है।

योजना का मुख्य उद्देश्य इन होनहार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास एवं नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाना है।

3. पात्रता—

1. प्रत्येक जिले के शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण कर 11वीं में प्रवेश लेने वाले एक छात्र एवं कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक में उत्तीर्ण कर महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लेने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को पात्रता होगी।
2. समान अंक प्राप्त करने पर विभागीय छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

3. यदि किसी छात्र-छात्रा ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा किसी जिले से उत्तीर्ण की है, लेकिन चालू शिक्षण सत्र में 11वीं कक्षा में अथवा महाविद्यालय में प्रवेश उसने भिन्न जिले में लिया है, तो उसका चयन उस जिले से किया जावेगा जहां से उसने कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हैं।

4. शिविर एवं कार्यक्रम की रूपरेखा—

1. राजधानी मुख्यालय में एक सप्ताह का शिविर आयोजित किया जायेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विशिष्टजनों द्वारा छात्र-छात्राओं को संबोधित किया जायेगा।
2. विभिन्न विषय एवं क्षेत्रों की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
3. कैरियर काउन्सिलिंग पर विशेष सत्र आयोजित होंगे।
4. ये आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह के पास होंगे जिससे प्रतिभागी छात्र-छात्राएं राजधानी में आयोजित इन राष्ट्रीय पर्व व अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों का अवलोकन कर सकेंगे, साथ ही विशिष्टजनों से भेंट एवं चर्चा में सम्मिलित हो सकेंगे।
5. भोपाल स्थित विशिष्ट स्थानों का भ्रमण जैसे—मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी, भारत भवन, मानव संग्रहालय आदि स्थानों आवासीय विद्यालय, पब्लिक स्कूल एवं आस-पास के अन्य दर्शनीय स्थल आदि।
6. छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व विकास एवं उनके ज्ञान वर्धन हेतु साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं—

1. छात्र-छात्राओं के भोपाल में ठहरने, आने-जाने एवं खाने-पीने की व्यवस्था निःशुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
2. छात्र-छात्राओं की यह यात्रा शैक्षणिक भ्रमण के रूप में होगी। इस हेतु लगने वाले किराए एवं अन्य व्यय हेतु लगने वाली राशि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी।
3. यदि बच्चे रेल में सफर करते हैं तो बच्चों को रेल्वे द्वारा किराए में निर्धारित छूट व लाभ देने का प्रयास किया जावेगा।
4. इस शिविर में सम्मिलित होने हेतु छात्र-छात्राओं को एक जोड़ निःशुल्क गणवेश, जूते-मोजे, स्वेटर/ब्लेजर आदि प्रदाय किये जावेंगे। गणवेश निम्नानुसार होगी:—

छात्र	छात्रा		
शर्ट	सफेद	कुर्ता	आसमानी नीला
पेन्ट	नेवी ब्लू	सलवार	सफेद
स्वेटर/ब्लेजर	नेवी ब्लू	दुपट्टा एवं रिबन	सफेद
जूते (केनवास)	सफेद	स्वेटर/ब्लेजर	नेवी ब्लू
मोजे (दो जोड़ी)	सफेद	जूते (केनवास)	सफेद
		मोजे (दो जोड़ी)	सफेद

इसके अतिरिक्त संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास उक्त गणवेश एवं उसके कलर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन कर सकेंगे।

6. योजना के क्रियान्वयन के लिए समुचित प्रक्रियाएं निर्धारित करने तथा संबद्ध कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर उसको लागू करने हेतु संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास अधिकृत रहेंगे।

7. व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विकास संबंधित प्रशिक्षण एवं कैरियर काउन्सिलिंग शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से कराये जा सकेंगे। संस्था का चयन संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास द्वारा किया जावेगा।

8. योजना पर होने वाला व्यय उक्त योजना मद अन्तर्गत बजट प्रावधान से किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवि डफरिया, उपसचिव।